फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजस

प्रकरण संख्या 62/2010 शीर्षक शंकरलाल बनाम सरकार

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर / सूचना नं. |
| --- | --- | --- |

19/09/25

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित ।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/09/25
........ को पेश हो ।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

26/09/2025

पत्रावली पेश हुई । उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित ।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई ।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 08/10/2025
........ को पेश हो ।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

08/10/2025

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार देवगढ़ से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः लिखा जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त करने रिपोर्ट दिनांक 15/10/2025 को पेश हो।

15/10/25

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार देवगढ़ से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः लिखा जावे, पत्रावली वास्ते रिपोर्ट प्राप्त करने दिनांक 11/11/25 को पेश हो।

11/11/2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय की पालना में पत्रावली संधारित की गई। निर्णय अनुसार प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रशासनिक पत्रों में पारित आदेश निरस्त कर विस्तृत जांच कर प्रार्थी द्वारा क्रय की गई। भूमि के अनुसार प्रार्थी के

## फर्द अहकाम

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 62/2010 शीर्षक शंकरलाल बनाम सरकार

| दिनांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर/ सूचना नं. |
|---|---|---|
| | पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।<br>उक्त निर्णय के अवलोकन उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रकरण का सम्बन्ध नामान्तरण की कार्यवाही से है। चूंकि यह प्रकरण न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(1) एवं 135(2) में नामान्तरणकरण की कार्यवाही में तहसीलदार को अधिकृत होने से प्रकरण तहसीलदार को भेजा जाता है।<br>सम्बन्धित तहसीलदार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन कर कार्यवाही करें। पत्रावली के अनुसरण में कैमल शुमार हो, दफ्तर दाखिल हो।<br>उपखण्ड अधिकारी देवगढ़<br>जि. राजसमन्द (राज.) | |